

Government of Rajasthan
Transport Department

No. F 7(229)/PARI/RULES/HQ/2003/ 3454

Jaipur, Dated: 13/06.2012

NOTIFICATION

Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2012, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 65 and section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extraordinary part 3 (kha), dated 23.01.2012 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 15 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 23.01.2012.

And whereas, no objection & suggestion received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 65 and section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

2. **Substitution of rule 7.14B.**- The existing rule 7.14B of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, shall be substituted by the following, namely :-

“7.14B. Limit of seating capacity of stage carriage vehicles. - (1) The minimum seating capacity of a stage carriage vehicle other than a vehicle plying within Municipal/U.I.T. limits shall be computed in accordance with the following formula, namely:-



$$\text{Mini. S.C.} = \left\{ \frac{(\text{WB} + \text{ROH})}{\text{BBD}} \times \frac{(\text{VW} - 315)}{\text{SW}} \right\} + \text{D}$$

Explanation.-

Min. S.C	=	Minimum Seating Capacity including driver
WB	=	Wheel Base of the vehicle in millimeters
ROH	=	Rear over hang in millimeters
VW	=	Inner Width of the Vehicle in millimeters
D	=	Driver's seat = 1
BBD	=	Back to back distance of seats
	=	700 in case of Ordinary Vehicle and
	=	800 in the case of Other than Ordinary Vehicle
SW	=	Seat width
	=	400 in case of Ordinary Vehicle and
	=	450 in case of Other than Ordinary Vehicle

Note:- Any fraction at any level of calculation should be ignored:

Provided that the minimum number so obtained may be reduced by two in the case of vehicle having separate entrance and exit.

(2) Nothing contained in sub-rule (1) shall apply to a vehicle already registered on the date of coming into force of the Rajasthan Motor Vehicle (Amendment) Rules, 2012, provided that when the body is reconstructed at any time, the provisions of sub-rule (1) shall be applicable”

By order of the Governor,



(Mahendra Soni)

Dy. Secretary to the
Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7(229)परि/नियम/मु./2003 / 3454

जयपुर, दिनांक : 13/6/12

अधिसूचना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 65 की उप-धारा (2) और धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2012 का प्रारूप उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा-प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाये, 15 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) दिनांक 23.01.2012 को प्रकाशित किया गया था।

और यतः, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 23.01.2012 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और यतः, उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 65 की उप-धारा (2) और धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

2. नियम 7.14ख का प्रतिस्थापन.-- राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के विद्यमान नियम 7.14ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“7.14.ख. मंजिली गाड़ी यानों की बैठक क्षमता की सीमा-- (1) नगरपालिक/नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाले किसी यान से भिन्न किसी मंजिली गाड़ी यान की न्यूनतम बैठक क्षमता की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जायेगी, अर्थात् :-



$$\text{न्यूनतम बैठक क्षमता} = \left\{ \frac{(\text{डब्ल्यू बी. + आर.ओ.एच.}) (\text{वी. डब्ल्यू.} - 315)}{\text{बी.बी.डी.} \times \text{एस. डब्ल्यू.}} \right\} + \text{डी.}$$

स्पष्टीकरण.—

न्यून. बै. क्ष.	=	ड्राइवर सहित न्यूनतम बैठक क्षमता
डब्ल्यू. बी.	=	यान का व्हील बेस, मिलीमीटर में
आर.ओ.एच.	=	पिछला ओवर हैंग, मिलीमीटर में
वी. डब्ल्यू.	=	यान की अन्दरूनी चौड़ाई, मिलीमीटर में
डी.	=	ड्राइवर की सीट = 1
बी.बी.डी.	=	सीटों की पीठ से पीठ की दूरी
	=	साधारण यान की दशा में 700 और
	=	साधारण से भिन्न यान की दशा में 800
एस.डब्ल्यू.	=	सीट की चौड़ाई
	=	साधारण यान की दशा में 400 और
	=	साधारण से भिन्न यान की दशा में 450

टिप्पणी :- गणना के किसी भी स्तर पर आने वाले किसी भिन्न की उपेक्षा की जायेगी :

परन्तु, पृथक प्रवेश और निकास वाले यान की दशा में इस प्रकार प्राप्त होने वाली न्यूनतम संख्या में से दो कम किये जा सकेंगे;

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात राजस्थान मोटर यान (संशोधन), नियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख के पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी यान पर लागू नहीं होगी, परन्तु जब बॉडी किसी समय पुनर्निर्मित की जाती है तब उप-नियम (1) के उपबन्ध लागू होंगे।”

राज्यपाल के आदेश से


(महेन्द्र सोनी)
शासन उप सचिव